रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239323
CG-DL-E-03102022-239323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4442]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
No. 4442]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4650(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन इसके द्वारा गठित किए गए राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और संघ राज्यक्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी निदेशों की अपनी शक्ति का, अपनी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, निम्नलिखित शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्यायोजन करती है, अर्थात् :-

(i) ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से अंगसत न हो ;

(ii) केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसहंरण कर सकेगी या उक्त धारा के उपबंधों का स्वयं अवलंब ले सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में लोकहित में ऐसी कार्यवाही आवश्यक है ।

[फा. सं. आईए 3-12/2/2022-आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30 September, 2022

S.O. 4650(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates its powers to issue directions under section 5 of the said Act to the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities, as constituted by it under sub-sections (1) and (3) of section 3 of the said Act, within their respective territorial jurisdictions, subject to the following conditions and limitations, namely:-

(i). that such directions are not inconsistent with any direction issued in any specific case by the National Coastal Zone Management Authority or Central Government;

(ii) that the Central Government may revoke such delegations of powers or may itself invoke the provisions of the said section, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in the public interest.

[F. No. IA3-12/2/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA